भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4056

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें

4056. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विभाज्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या उक्त हिस्सा 15वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए 41 प्रतिशत से कम है और क्या सरकार की राज्यों के हिस्से के अंतरण को उक्त स्तर तक बढ़ाने की योजना है;

(ग) केन्द्र द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को अंतरण का स्तर क्या है;

(घ) क्या उक्त हिस्सा 4.36 लाख करोड़ रुपए से कम है और सरकार की राज्यों के हिस्से के अंतरण को उपरोक्त स्तर तक बढ़ाने की योजना है;

(ङ) वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य-विशिष्ट अनुदानों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उक्त हिस्सा 15वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए 49,599 करोड़ रुपये से कम है और क्या सरकार की राज्यों के हिस्से के अंतरण को उपरोक्त स्तर तक बढ़ाने की योजना है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विभाज्य करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों में राज्यों के हिस्से की कुल राशि ₹12,86,885.44 करोड़ है।

(ख): जी नहीं, उक्त हिस्सा 15वें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसा के अनुसार है।

(ग) से (घ): केंद्र सरकार स्थानीय निकायों को कोई कर अंतरित नहीं करती है। हालाँकि, केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को स्थानीय निकाय अनुदान जारी करती है।

(ङ) से (च): पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन में किसी भी राज्य-विशिष्ट अनुदान को विशेष रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। तदनुसार, पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत कोई भी राज्य-विशिष्ट अनुदान जारी नहीं किया जा रहा है।

*****